भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2858

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

भिक्षा वृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास

2858. श्री राजा राम सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भिक्षा वृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास उप-योजना के अंतर्गत बचाए गए, पुनर्वासित और मुख्यधारा में शामिल किए गए व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पुनर्वास हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं, कितने अनुरोधों पर कार्रवाई की गई हैं और कितने अनुरोध लंबित हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कौशल प्रशिक्षण, मजदूरी रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास पुनर्वासित लाभार्थियों की वर्तमान रोजगार क्षमता या आजीविका स्थिति से संबंधित आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रभावी पुनर्वास, स्थायी आजीविका और पुनः भिक्षा न मांगना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): स्माइल (आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता) उप-योजना "भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास" की शुरुआत अर्थात 23.10.2023 से कुल 31,055 व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से 9,855 व्यक्तियों को इस उप-योजना के तहत बचाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया

है, जिसमें 2,480 बच्चे शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): स्माइल उप-योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (आईए) अर्थात् जिला प्रशासन/शहरी स्थानीय निकायों/नगर निगमों और भिक्षावृत्ति निवारण के क्षेत्र में काम करने वाली अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। उप-योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन प्राधिकरण एक निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) की नियुक्ति/चयन करता है। चूंकि यह योजना कार्यान्वयन प्राधिकरण (आईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए मंत्रालय में पुनर्वास के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि सभी बचाए गए व्यक्तियों को उनकी इच्छा/रुचि के अनुसार और योजना के दिशा-निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप व्यापक पुनर्वास प्रदान किया जाता है।

(ग): स्माइल उप-योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से कौशल विकास और आजीविका के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी पात्र व्यक्तियों को लकड़ी के काम, सिलाई, खाना पकाने, बागवानी, सुरक्षा सेवाओं, स्वच्छता कार्य, ई-रिक्शा ड्राइविंग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे व्यवसायों में स्थानीय मांग और योग्यता के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस उप-योजना के अंतर्गत समुदाय/स्वयं सहायता समूहों का गठन और आय सृजन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंकों के साथ जुड़ाव (लिंकेज) स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की जाती है। **अनुलग्नक-I** में विवरण दिए गए हैं।

(घ) और (ङ): इस उप-योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चिन्हित करने, आश्रय, परामर्श और कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय के माध्यम से उपयुक्त कल्याणकारी और आजीविका योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए, विभाग में पुनर्वासित लाभार्थियों की वर्तमान रोजगार क्षमता या आजीविका की स्थिति से संबंधित आंकड़े मेंटेन नहीं किए जाते हैं।

इसके अलावा, प्रभावी पुनर्वास, स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने और भिक्षावृत्ति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए; रोजगार या स्वरोजगार को सुगम बनाने हेतु स्थानीय मांग वाले वेतन रोजगार/आजीविका के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जाता है, तथा दीर्घकालिक पुन:एकीकरण और स्थायी पुनर्वास के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

अनुलग्नक-I

सर्वेक्षण/पहचान और पुनर्वास की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सर्वेक्षण/पहचान	कुल बचाव और पुनर्वास	वेतन रोजगार	स्व-रोजगार
1	आंध्र प्रदेश	2569	653	400	50
2	अरुणाचल प्रदेश	140	99	80	0
3	असम	1840	605	116	263
4	बिहार	476	375	198	62
5	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	499	352	198	20
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3318	372	186	50
7	गुजरात	1141	453	195	75
8	हिमाचल प्रदेश	27	1	1	0
9	जम्मू-कश्मीर	1143	510	166	8
10	कर्नाटक	875	88	40	26
11	केरल	674	178	93	20
12	मध्य प्रदेश	1772	1291	357	208
13	महाराष्ट्र	1601	1025	244	80
14	मणिपुर	64	0	0	0
15	मिजोरम	16	0	0	0
16	नागालैंड	107	22	22	0
17	ओडिशा	784	288	78	100
18	पुडुचेरी	485	178	8	73
19	पंजाब	128	6	6	0
20	राजस्थान	79	0	0	0
21	तमिलनाडु	9145	1590	357	298
22	तेलंगाना	580	53	53	0
23	उत्तर प्रदेश	3592	1716	1223	223
कुल		**31055**	**9855**	**4021**	**1556**

नोट: इस उप-योजना के तहत पुनर्वासित व्यक्तियों की कुल संख्या में वे बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें अपने परिवारों के साथ फिर से जोड़ा गया है या बाल कल्याण समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें वृद्धाश्रमों, नशामुक्ति केंद्रों और अन्य उपयुक्त देखभाल और सहायता संस्थानों जैसी सेवाओं को जोड़कर केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पुनर्वासित व्यक्ति भी शामिल हैं। अन्य सभी व्यक्ति व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उन्हें कुछ वेतन रोजगार या स्व-रोजगार की सुविधा प्रदान की जाती है।

*****